प्रेषक,

महानिदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला/संयुक्त जिला चिकित्सालय (महिला/पुरूष), उ0प्र0।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ/डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ/लोक बन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ/यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर।

पत्रांक :प्रशि0प्रको0/डी0सी0एच0–2024–26/3794 लखनऊः दिनांक 04/12/2023

विषयः शासन की ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग नियंत्रण नीति के अन्तर्गत बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में डिप्लोमा–इन चाइल्ड (डी0सी0एच0) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के 20 चिकित्सा अधिकारियों को सत्र 2024–26 हेतु नामित किये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन की नीति के अनुसार प्रत्येक वर्ष बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में द्विवर्षीय डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ (डी0सी0एच0) पाठ्यक्रम हेतु पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों को चयनित किया जाता है। विगत वर्षों की भांति वर्ष 2024–26 के लिये भी पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के 20 चिकित्सा अधिकारियों को बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में द्विवर्षीय डी0सी0एच0 प्रशिक्षण हेतु चयनित किया जाना है।

उपरोक्त के क्रम में चिकित्सा अधिकारियों के नामांकन हेतु मानक निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्या–71/2716/पांच–8–2016–म(178)/2012, दिनांक 07.10.2016 की प्रति एवं आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि जनपद में आपके अधीन तैनात चिकित्सा अधिकारियों को उक्त सूचना से अवगत कराते हुये प्रशिक्षण हेतु इच्छुक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर किये जाने वाले आवेदन पत्रों में अंकित की गई सूचनाओं एंव घोषणाओं का परीक्षण कर आवेदित चिकित्सा अधिकारियों की विगत 03 वर्षों यथा– वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 की सत्यापित गोपनीय प्रविष्टि संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हुये अपनी संस्तुति सहित विलम्बतम दिनांक 31.12.2023 तक महानिदेशालय के चतुर्थ तल स्थित प्रशिक्षण अनुभाग में मूलरुप में व्यक्तिगत रुप से तथा अधोहस्ताक्षरी के ई–मेल– ***dgmhtraining@gmail.com*** पर प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, इसके अतिरिक्त यह भी कहना है कि दिनांक 31.12.2023 के उपरान्त प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 शैलेश कुमार श्रीवास्तव)
महानिदेशक (प्रशिक्षण)

पत्रांक :प्रशि0प्रको0/डी0सी0एच0–2024–26/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–5
3. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप एवं शासनादेश तथा पत्र को विभागीय वेबसाइट– **http://dgmhup.gov.in** पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा आवेदित चिकित्सा अधिकारियों को चाही गई वांछित वर्ष की गोपनीय प्रविष्टियों को सत्यापित कर ससमय उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

प्रेषक,

महानिदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला/संयुक्त जिला चिकित्सालय (महिला/पुरूष), उ0प्र0।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ/डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ/लोक बन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ/यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर।

पत्रांक :प्रशि0प्रको0/डी0सी0एच0–2024–26/ लखनऊः दिनांक 04/12/2023

विषयः शासन की ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग नियंत्रण नीति के अर्न्तगत बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में डिप्लोमा–इन चाइल्ड (डी0सी0एच0) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के 20 चिकित्सा अधिकारियों को सत्र 2024–26 हेतु नामित किये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन की नीति के अनुसार प्रत्येक वर्ष बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में द्विवर्षीय डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ (डी0सी0एच0) पाठ्यक्रम हेतु पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों को चयनित किया जाता है। विगत वर्षों की भांति वर्ष 2024–26 के लिये भी पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के 20 चिकित्सा अधिकारियों को बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में द्विवर्षीय डी0सी0एच0 प्रशिक्षण हेतु चयनित किया जाना है।

उपरोक्त के क्रम में चिकित्सा अधिकारियों के नामांकन हेतु मानक निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्या–71/2716/पांच–8–2016–म(178)/2012, दिनांक 07.10.2016 की प्रति एवं आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि जनपद में आपके अधीन तैनात चिकित्सा अधिकारियों को उक्त सूचना से अवगत कराते हुये प्रशिक्षण हेतु इच्छुक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर किये जाने वाले आवेदन पत्रों में अंकित की गई सूचनाओं एंव घोषणाओं का परीक्षण कर आवेदित चिकित्सा अधिकारियों की विगत 03 वर्षों यथा– वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 की सत्यापित गोपनीय प्रविष्टि संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हुये अपनी संस्तुति सहित विलम्बतम दिनांक 31.12.2023 तक महानिदेशालय के चतुर्थ तल स्थित प्रशिक्षण अनुभाग में मूलरुप में व्यक्तिगत रुप से तथा अधोहस्ताक्षरी के ई–मेल– ***dgmhtraining@gmail.com*** पर प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, इसके अतिरिक्त यह भी कहना है कि दिनांक 31.12.2023 के उपरान्त प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 शैलेश कुमार श्रीवास्तव)
महानिदेशक (प्रशिक्षण)

पत्रांक :प्रशि0प्रको0/डी0सी0एच0–2024–26/3795-98 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–5
3. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप एवं शासनादेश तथा पत्र को विभागीय वेबसाइट– **http://dgmhup.gov.in** पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा आवेदित चिकित्सा अधिकारियों को चाही गई वांछित वर्ष की गोपनीय प्रविष्टियों को सत्यापित कर ससमय उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

04/12/23

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

वर्ष 2024 हेतु पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों को बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में द्विवर्षीय डी0सी0एच0 (डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ) हेतु आवेदन–प्रपत्र

1. चिकित्सा अधिकारी का नाम.....

2. पिता का नाम.....

3. जन्म तिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें).....

4. वरिष्ठता क्रमांक..... मानव सम्पदा कोड .....

5. प्रथम नियुक्ति के क्रम में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि .....

फोटो

6. मोबाइल नं..... ई–मेल.....

7. वर्तमान तैनाती का स्थान.....

8. आरक्षित श्रेणी (जो लागू हो उसमें टिक करें)

   सामान्य ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐ दिव्यांग ☐ ईडब्लूएस ☐

9. अभ्यर्थियों की तीन वर्ष की ग्रामीण सेवा अवधि का विवरण (प्रमाणित साक्ष्यों सहित) कब से कब तक.....

   .....

10. वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 की गोपनीय प्रविष्टियों की प्रति जो अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा सत्यापित हो, संलग्न है अथवा नहीं .....

11. क्या विगत वर्ष/वर्षों में विभागीय पी0जी0 डिप्लोमा नीट में अध्ययन हेतु चयन किया गया था एवं प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया था यदि हां तो कब तक .....

12. आवेदति चिकित्सा अधिकारी का निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र रूपया–10/– के स्टाम्प पेपर पर करना होगा कि:–

    (क) आवेदन कर्ता डी0सी0एच0 प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त 05 वर्ष की अवधि तक ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित जनपदों में अपनी सेवायें प्रदान करेगा।

    (ख) वह प्रशिक्षण उपरान्त 05 वर्ष की अवधि के भीतर यदि चिकित्सा अधिकरी का स्थानान्तरण किन्हीं कारणों से ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित जनपदों के अतिरिक्त किसी अन्य जनपदों में हो जाता है तो सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी अपने नियंत्रण अधिकारी को 05 वर्ष तक की अवधि पूर्ण होने तक ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित जनपदों में सेवा देने के शपथ पत्र के विषय में अवगत करायेगा ऐसा न करने की दशा में उनके विरूद्ध अनुशासनात्क कार्यवाही की जायेगी अथवा यदि डिप्लोमा कोर्स करने के उपरान्त शासकीय सेवा छोड़ देता है तो उपरोक्त वर्णित दोनों दशा में प्रशिक्षण कार्य में देय वेतन के बराबर धनराशि विभाग को प्रतिपूर्ति करनी पड़ेगी।

घोषणा

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनायें/विवरण एवं उसके संलग्नक मेरी निजी ज्ञान में सत्य हैं। इसमें किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा दी गयी सूचना/अभिलेख त्रुटिपूर्ण पाये जाते है अथवा मैं शासन द्वारा निर्धारित किसी शर्तों/प्रतिबन्धों के पूर्ण नहीं करता हूँ तो मेरे आवेदन को निरस्त करते हुए विभाग स्वतंत्र होगा तथा मैं इस हेतु किसी प्रकार का दावा नहीं करूँगा/करुँगी।
2. मैं प्रशिक्षण के उपरान्त लगातार 05 वर्षों तक ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित जनपदों में तैनाती हेतु सहमति व्यक्त करता/करती हूँ तथा ए0ई0एस0/जे0ई0 रोगियों को उपचार प्रदान करने में सहयोग प्रदान करूँगा।

आवेदन कर्ता का नाम व हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि डा0..... तैनाती स्थान का नाम ..... द्वारा उपरोक्त प्रपत्र में दिये गये सभी तथ्यों एवं संलग्नक अभिलेखों का मेरे द्वारा भली–भांति परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है। डा0 .... दिनांक ..... से निरन्तर शासकीय सेवा में सेवारत है इनकी सेवायें अभिलेखीय आधार पर संतोषजनक रही है तथा अभिलेखों के आधार पर इनके विरूद्ध ऐसे कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं है, जिसके कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में कोई बाधा हो। आवेदनकर्ता के आवदेन में वर्णित समस्त बिन्दुओं के संबंध में अंकित की गयी सूचनाओं से संबंधित अभिलेखों की सत्यापित प्रति संलग्न है।

नियंत्रण अधिकारी
(मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक)
के हस्ताक्ष रनाम व पदनाम वाली मोहर सहित

04/12/2023

संख्या-71/2716/पाँच-8-2016-म(178)/2012

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-8 **लखनऊ : दिनांक : 07 अक्टूबर 2016**

विषयः- पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को बी0आर0डी0 मेडिकल, कालेज, गोरखपुर में द्विवर्षीय डी0सी0एच0(डिप्लोमा इन चाईल्ड हेल्थ) पाठयक्रम करने हेतु मानक निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, संक्रामक रोग/वी0बी0डी0, उ0प्र0 स्वास्थ्य भवन लखनऊ के पत्र संख्या-21फ/सं0रो0/ए0ई0एस0-जे0ई0/2016/1845-48, दिनांक 10.08.2016 के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को बी0आर0डी0 मेडिकल, कालेज, गोरखपुर में द्विवर्षीय डी0सी0एच0(डिप्लोमा इन चाईल्ड हेल्थ) पाठयक्रम करने हेतु निम्नवत् मानक निर्धारित किये जाते हैं:-

1. अभ्यर्थियों का चयन सेवा काल की अवधि लेन्थ ऑफ सर्विस तथा चरित्र पंजिका को ध्यान में रखकर किया जायेगा।
2. 45 वर्ष से अधिक आयु के चिकित्साधिकारियों का चयन नहीं किया जायेगा।
3. बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में द्विवर्षीय कोर्स हेतु 03 वर्ष की ग्रामीण सेवा अनिवार्य होगी।
4. बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में द्विवर्षीय डी0सी0एच0 पाठयक्रम हेतु कम से कम 03 वर्ष की गोपनीय प्रविष्टियों को संज्ञान में लिया जाय।
5. यदि किसी चिकित्साधिकारी का विगत वर्ष/वर्षो में विभागीय पी0जी0 डिप्लोमा में अध्ययन हेतु चयन किया गया था और उसमें पी0जी0 डिप्लोमा के अध्ययन में प्रवेश नहीं लिया है अथवा प्रवेश लेने के बाद छोड़ दिया है, उसके प्रार्थना पत्र 03 वर्ष तक विचार नहीं किया जायेगा।

-2/----

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6 प्रशिक्षण 02 वर्ष में पूर्ण करना होगा अधिकतम 02 बार और परीक्षा देने का अवसर दिया जायेगा।

प्रशिक्षण हेतु आवेदन करते समय चिकित्साधिकारी को शपथ पत्र देना होगा कि वे प्रशिक्षण उपरान्त ए0ई0एस0/जे0ई प्रभावित जनपदों में कम से कम 05 वर्ष तक सेवा प्रदान करेगें।

प्रशिक्षण उपरान्त 05 वर्ष की अवधि के भीतर यदि चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण किन्हीं कारणों से ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग से प्रभावित जनपदों के अतिरिक्त किसी अन्य जनपद में हो जाता है, तो संबंधित चिकित्साधिकारी अपने नियन्त्रक अधिकारी को 05 वर्ष तक की अवधि पूर्ण होने तक ए0ई0एस0/जे0ई प्रभावित जनपदों में सेवा देने के शपथ पत्र के विषय में अवगत करायेगा, ऐसा न करने की दशा में उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी अथवा यदि डिप्लोमा कोर्स करने के उपरान्त शासकीय सेवा छोड़ देता है तो उपरोक्त वर्णित दोनों ही दशाओं में प्रशिक्षण काल में देय वेतन के बराबर धनराशि विभाग को प्रतिपूर्ति करनी पड़ेगी।

7 पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत सभी इच्छुक चिकित्साधिकारियों से आवेदन 31 दिसम्बर तक कर लिया जायेगा तथा 31 मई तक चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी। यदि चयन समय से नहीं हो पाता है, तो शासन की अनुमति से एक निश्चित समय तक चयन पूर्ण कर लेना होगा। चयन प्रक्रिया में उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा-3(6) में विहित व्यवस्थानुसार आरक्षण का पालन किया जायेगा।

चयन के उपरान्त चिकित्साधिकारियों के पी-2 में डी0सी0एच0 प्रशिक्षण हेतु जाने का अंकन किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के उपरान्त भी पी-2 में प्रशिक्षण पूर्ण होने का अंकन किया जायेगा।

भवदीया,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव।

-3/.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-71/2716(1)/पांच-8-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ।
(2) निदेशक, (प्रशिक्षण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) प्रधानाचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
(4) समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
(5) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, उ0प्र0।
(6) गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

शिवगोपाल सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।